रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2016/श्रावण 26, 1938
No. 327] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2016/SRAVANA 26, 1938

पश्चिम बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

पटना, 10 अगस्त, 2016

सं.एस.ओ. **परिपूरकविनियम** **अध्यादेश/2016.**—केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के खण्ड पश्चिम बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का उपखण्ड अध्यादेश विश्वविद्यालय अध्यादेश में निम्नलिखित नियम अध्याय 5 का खण्ड "पश्चिम बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय (प्रवेश अध्यादेश)" के नाम से अधिसूचित किया जाएगा।

"बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय" अध्यादेश के अध्याय 1 का खण्ड खण्ड 3 के बाद 3 के, अध्याय "पश्चिम बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय" अध्याय नई अध्यादेश।

डॉ. अध्यक्षी विश्वविद्यालय अधिनियम, कुलसचिव

[विज्ञापन.सं.एस.ओ.-2141(अध्याय)]

भाग – 3

विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों

अध्यादेश – 1

कुलपति की नियुक्ति के शर्तें तथा अधिकार एवं कार्य

(अधिनियम की धारा 28(1) (सी) एवं 11. अधिनियम 2009)

1.1 अधिकार एवं कार्य :

कुलपति विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यपालक तथा प्रमुख है और अधिनियम एवं अध्यादेश के अधीनस्थ के अधिनियम उनकी नियमों में निर्धारित शर्तों की पालन होगी तथा उनकी अधिकारों एवं कार्यों के अलावा वे नियम निम्नलिखित की अधिकार होंगे।

1. अध्यक्षी अधिकारों की विश्वसनीय कार्य हेतु अधिकारियों, अधिकारपदों, शिक्षकों विभाग के अध्यक्षों एवं अन्य अधिकारियों की कार्यकारिणीय कार्यवाही किसी इस कार्य की समय निर्धारित/निर्धारित विभिन्नों के अध्यक्ष या कार्यवाह अधिकृत।

2. अध्यक्षनिकाय अध्यक्षी नहीं का विवेक एवं उनके विरुद्ध निर्धारित किसी अधिनियम कुछ कार्य के अधिक न हो।